

विभागीय वेबसाइट पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

1. आवेदक का जनाधार
2. आवेदक का मूलनिवास, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता
3. बीपीएल कार्ड अथवा अन्त्योदय प्रमाण पत्र अथवा आस्था कार्ड अथवा
4. आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला का पेंशन भुगतान आदेश/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र तथा 25 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क कमाने वाला पुत्र नहीं होने का स्वघोषणा पत्र अथवा
5. विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र अथवा व्यक्ति को 40% अथवा आर्थिक निश्चिन्ता का प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र
6. पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण पत्र अथवा
7. राज्य स्तर से जारी खिलाडी होने का प्रमाण पत्र। प्रतियोगिता में पदक जीतने के प्रमाण पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र
8. कन्या का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
9. कन्या का जन्म प्रमाण पत्र
10. कन्या के शैक्षणिक दस्तावेज
11. वर का जन्म प्रमाण पत्र
12. अनाथ बालिका के आवेदन में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
13. दस्तावेज प्रमाणीकरण के संबंध में स्वघोषणा पत्र
14. दस्तवेजो की सत्यता के सम्बन्ध में पोर्टल पर ऑनलाइन स्वघोषणा पत्र
15. आवेदक और वर वधू की फोटो

नोट:- क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 8 एवं 9 पर अंकित दस्तावेज आवेदन से पूर्व जनाधार में अपडेट करवाना आवश्यक है तथा शेष दस्तावेजों की मूल प्रति श्रेणीवार अपलोड करना आवश्यक है।

**नोट:-**

- अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपने सभी दस्तावेज जनाधार/ई-वाल्ड/डिजीलहकर में अद्यतन कर ले जिससे अनावश्यक विलम्ब/परेशानी न हो।
- अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपने बैंक खाता विवरण की पूर्ण रूप से जांच कर ले जिससे बैंक खाता अक्रियाशील अथवा त्रुटि आदि होने के कारण भुगतान में समस्या उत्पन्न ना हो।
-